आरई-7

तीन वर्षीय बी.एड (अंशकालीन) पाठ्यक्रम पर विनियम

[दिनांक 21.11.2016 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 26वीं बैठक में प्रस्ताव सं EC26.5.1 द्वारा अनुमोदित]

(अध्यादेश ओडी-1 के अधीन)

1. सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (2007 के 10) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रासंगिक अधिनियम, संविधियाँ तथा अध्यादेशों के प्रावधानों के तहत सिक्किम विश्वविद्यालय के अंतर्गत शिक्षा स्नातक (अंशकालीन) पाठ्यक्रम निम्नलिखित विनियमों के अनुसार संचालित होगा।

2. इन विनियमों को शिक्षा स्नातक (अंशकालीन) पर विनियमों के रूप में जाना जाएगा।

3. ये विनियम विषम सेमेस्टर 2017 से प्रभावी होंगे।

4. बी.एड. (अंशकालीन) पाठ्यक्रम तीन वर्षीय पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम के प्रवेश की तिथि से अधिकतम पाँच वर्षों के अंदर इस पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सकता है।

5. शिक्षा स्नातक (अंशकालीन) पाठ्यक्रम एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों, जैसे कि उच्च प्राथमिक अथवा मिडल स्तर(कक्षा VI-VIII), माध्यमिक स्तर (कक्षा IX-X) और उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा XI-XII) के लिए शिक्षकों को तैयार करना है। यह पाठ्यक्रम माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त व्यक्तियों को कक्षा-VI से XII तक की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा।

6. निम्नलिखित योग्यता वाले प्रार्थी बी.एड (अंशकालीन) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे :

   क) आवेदन पत्र जमा करते समय वह उच्च प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक विधालय में कम से कम दो वर्षो तक पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में अनिवार्यत: कार्यरत होगा और वह पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए सेवा में रहेगी/गा। प्रवेश के समय विद्यालय, जहां वे नियुक्त हैं, के प्राचार्य से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

   ख) उसके पास विज्ञान/मानविकी/सामाजिक विज्ञान में स्नातक डिग्री/अथवा स्नातकोत्तर डिग्री में 50% अंक अथवा विज्ञान और गणित की पृष्ठभूमि/विशषज्ञता के साथ बीई अथवा बी.टेक में 50% अथवा समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है।

   ग) एससी/एसटी/ओबीसी/पीडबल्यूडी प्रार्थी को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार छूट और आरक्षण प्राप्त होगा।

   घ) पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्णय किए जाने के अनुसार प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों पर योग्यता के आधार पर प्रवेश किया जाएगा।

7. इस पाठ्यक्रम के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है।

8. पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रत्येक वर्ष जून महीने में प्रारम्भ होगा और सत्र जुलाई से शुरू होगा। महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगा।

9. पाठ्यक्रम में 50 छात्रों की एक बुनियादी इकाई होगी, लेकिन एनसीटीई विनियम 2014 के अनुरूप शिक्षण और संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर दो इकाइयों के लिए अनुमति दी जा सकती है।

10. कक्षाएं छुट्टियों और अवकाश के दौरान आयोजित की जाएगी। प्रत्येक कक्षा एक घंटे की अवधि की होगी और एक दिन में छ: घंटे पढ़ाया जाएगा। एक सप्ताह के छ: दिन में कम से कम कुल 42 घंटे होंगे।

11. पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष अर्थात प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में कम से कम 120 दिन का प्रत्यक्ष शिक्षण होगा और जिस विद्यालय में प्रशिक्षु कार्य करते हैं, उसी विद्यालय में 12 सप्ताह (60 दिन) की अवधि की पर्यवेक्षित स्कूल इंटर्नशिप होगी जिसे तीन वर्षों की अवधि के दौरान समान रूप से (प्रत्येक वर्ष 4 सप्ताह/20 दिन) विभाजित किया जाएगा।

क्र.सं.	गतिविधियां	दिन/सप्ताहों की संख्या
1	प्रत्यक्ष शिक्षण (एक वर्ष में @ 120 दिन)	120 x 3 = 360 दिन
2	पर्यवेक्षित स्कूल इंटर्नशिप (एक वर्ष में @20 दिन)	20 x 3 = 60 दिन
3	व्यावहारिक कार्य (एक वर्ष में @ 50 दिन)	50 x 3 = 150 दिन

12. महविद्यालय प्रत्येक वर्ष चार सप्ताह/20 दिन (तीन वर्षों में12 सप्ताह/60 दिन) की स्कूल इन्टरन्शिप सहित सभी गतिविधियों का एक कैलंडर तैयार करेगा।

13. महाविद्यालय प्रशिक्षुओं के संबन्धित विद्यालयों में, जहां प्रशिक्षु नियुक्त हैं, स्कूल आधारित गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।

14. सभी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों की नून्यतम उपस्थिति 80 प्रतिशत होगी और स्कूल इंटर्नशिप के लिए 90 प्रतिशत होगी। इस पाठ्यक्रम का संचालन करनेवाले महाविद्यालय को छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना होगा और सम्बंधित परीक्षा में बैठने की पात्रता को सुनिश्चित करने के लिए उसे परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में प्रेषित करना होगा।

15. शैक्षणिक वर्ष के अंत में अर्थात एक पूर्ण वर्ष पूरा होने के बाद, आमतौर पर जून महीने में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

16. पाठ्यक्रम में कुल 1200 अंक (समतुल्य क्रेडिट) होंगे जो कि तीन वर्ष की अवधि में समान रूप से विभाजित होंगे अर्थात 30:70 के अनुपात में आंतरिक और बाह्य दोनों मूल्यांकन के साथ प्रत्येक वर्ष 400 अंक होंगे।

17. शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी होगा और सभी उत्तर-पुस्तिका केवल अंग्रेजी में ही लिखी जाएँगी।

18. आकलन, मूल्यांकन और संबन्धित डिग्री प्रदान करने के उद्देश्य से समय समय पर किए गए संशोधन के अनुसार परीक्षा के आयोजन पर विश्वविद्यालय के विनियम, जो बी.एड पाठ्यक्रम (नियमित) के लिए लागू है, वही बी.एड (अंशकालीन) के लिए भी लागू होंगे।

19. यह विनियम सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अपनाए गए और अधिसूचित किए गए एनसीटीई के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है।

20. कठिनाइयों को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति के पास सिक्किम विश्वविद्यालय के अधिनियम/संविधियाँ/ अध्यादेशों के अनुसार दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति होगी।